



भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड  
मध्य मार्ग, सैक्टर 19-बी, चंडीगढ़-160019  
0172-5011773, फैक्स 0172-2549857



प्रेषक,

निदेशक/एचआरडी

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता, उत्पादन, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, नंगल टाऊनशिप।
2. मुख्य अभियन्ता, प्रणाली परिचालन, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, पारेषण प्रणाली, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, भाखड़ा डैम, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, नंगल टाऊनशिप।
5. मुख्य अभियन्ता, ब्यास डैम, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, तलवाड़ा टाऊनशिप।
6. मुख्य अभियन्ता, ब्यास सतलुज लिंक, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, सुन्दरनगर।
7. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़/नंगल।
8. विशेष सचिव, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।
9. सचिव, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़।

क्रमांक:- 516-537/एच.आर.डी./परीक्षा/6002 दिनांक:- 24.11.2017

**विषय :** भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के इंजीनियरिंग अधिकारियों (BBMB own recruited) की विभागीय परीक्षा सत्र जनवरी, 2018 के आयोजन बारे।

यह निर्णय लिया गया है कि भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के AE/Computer (Re-designated from System Analyst BBMB own recruited) की परीक्षा नीचे दी गई समय- सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी :-

पेपर-I	WORKS ACCOUNTS	22.01.2018	सोमवार
पेपर-II	SERVICE RULES AND REGULATIONS	23.01.2018	मंगलवार
पेपर-III	REVENUE ACCOUNTS, ACTS & LABOUR LAWS	24.01.2018	बुधवार

2. परीक्षा प्रातः 11:00 बजे आरम्भ होगी। वे अधिकारी जो उपर्युक्त परीक्षा में बैठना चाहते हैं संलग्न किए गए निर्धारित फार्म को विधिवत रूप से भर कर अपने आवेदन फार्म अपने संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से बोर्ड सचिवालय को दिनांक **15.12.2017** तक या इस से पहले अवश्य भेज दें। तत्पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
3. रोल नं. परीक्षा आरम्भ होने की वास्तविक तिथि से 10 दिन पहले पात्र अधिकारियों को जारी किए जाएंगे।
4. अधिकारियों के आवेदन पत्र भेजते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए:-
  - (i) आवेदन पत्र पूर्ण तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएंगे और रद्द कर दिए जाएंगे।
  - (ii) आवेदन फार्म में दिया गया ब्यौरा सही होना चाहिए और कार्यालय/ विभाग का प्रधान प्रमाणित करेगा कि ब्यौरा अधिकारी की सेवा पुस्तिका/संबंधित रिकार्ड में उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर दिया गया है।
  - (iii) अधिकारियों से सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

5. परीक्षा हाल में भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही उम्मीदवार का प्रवेश होगा ।
6. AE/Computer की विभागीय परीक्षा संबंधी पाठ्यक्रम संलग्न किया जाता है जी।

यह पत्र अध्यक्ष, भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, चण्डीगढ़ की स्वीकृति उपरांत जारी किया जाता है ।



अनुलग्नक/ आवेदन फार्म एवं पाठ्यक्रम

निदेशक/एचआरडी

प्रतिलिपि :

1. भा.ब्या.प्र.बोर्ड के सभी अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक।
2. भा.ब्या.प्र.बोर्ड के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव।
3. भा.ब्या.प्र.बोर्ड के सभी कार्याकारी अभियन्ता/निवासी अभियन्ता।
4. उप सचिव/समन्वय, 47-काका नगर, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, नई दिल्ली।
5. भा.ब्या.प्र.बोर्ड के सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी।
6. ई.डी.पी. मैनेजर, कम्प्यूटर सैल, भा.ब्या.प्र.बोर्ड, चण्डीगढ़। यह अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्र को बीबीएमबी की वेबसाईट पर डाला जाए।
7. अध्यक्ष महोदय के वरिष्ठ निजी सचिव।
8. सदस्य/विद्युत के निजी सचिव।
9. सदस्य/सिंचाई के निजी सचिव।
10. मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव।
11. बोर्ड सचिवालय के सभी अनुभागाध्यक्ष।
12. महा सचिव, सभी मायन्ता प्राप्त यूनियन, भा.ब्या.प्र.बोर्ड ।
13. मास्टर फाईल।

अनुलग्नक/ आवेदन फार्म एवं पाठ्यक्रम

**आवेदन फार्म**  
**पात्र नियमित इंजीनियरिंग अधिकारियों हेतु विभागीय परीक्षा**

<b>केन्द्र</b>	
<b>रोल न0</b>	..... (to be allotted by the office)

1	उम्मीदवार का पूरा नाम और पदनाम	
2	पिता का नाम	
3	सिविल/ इलैक्ट्रीकल/ इलैक्ट्रॉनिक्स /मकैनिकल/ IT	
4	जन्म तिथि	
5	बीबीएमबी में कार्यग्रहण करने की तिथि	
6	वर्तमान पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	
7	कार्यालय का पूरा पता जहां आवेदक कार्यरत है	
8	पेपरों का नाम जिनमें आवेदक परीक्षा देना चाहता है	
9	भाषा जिसमें आवेदक परीक्षा देना चाहता है (English or Hindi)	
10	क्या आप कभी अयोग्य घोषित हुए हो यदि हां तो सत्र का नाम और रोल न0	

नोट :-

1. अधूरा आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा ।
2. आवेदन पत्र पूरे तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
3. आवेदन फार्म में दिया गया ब्यौरा सही होना चाहिए और कार्यालय /विभाग के प्रधान द्वारा यह प्रमाणित किया जाना चाहिए कि यह ब्यौरा अधिकारी की सेवा पुस्तिका /संबंधित रिकार्ड के आधार पर सत्यापित किया गया है।
4. भरकर भेजे गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय की होगी ।
5. आवेदन पत्र संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से ही बोर्ड कार्यालय में भेजे जाएं। कर्मचारियों से सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं \_\_\_\_\_ कार्यालय \_\_\_\_\_  
में \_\_\_\_\_ के पद पर कार्यरत हूं और घोषणा करता/करती हूं कि मेरा उक्त विवरण सही है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

दिनांक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पृष्ठांकन क्रमांक :

/

दिनांक

निदेशक/एचआरडी, बीबीएमबी, चण्डीगढ़ को मूल रूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए सूचित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 10 पर वर्णित विवरण को अधिकारी की सेवा पुस्तिका/संबंधित रिकार्ड से सत्यापित कर लिया गया है और सही पाया गया है ।

कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर मोहर सहित

**EXAMINATION SYLLABUS FOR ASSISTANT ENGINEER/I.T****PAPER-1****(WORKS ACCOUNTS)****MAX. MARKS: 100**

- A. Manual on Capital Expenditure and Fixed Assets Except Chapter-XXI to XXIV
- B. Manual on Damaged Transformers Salient Features Chapter 4 to 8 & 18 to 21
- C. Expense Accounting Manual Chapter – 18
- D. Punjab Financial Rules; Vol.I
- |              |  |
|--------------|--|
| Chapter I    | Definitions  |
| Chapter II   | General Principles and Rules except for Rules 2.5 and 2.45 and the letter part of Annexure-'B' pertaining to Remission of and Abandonment of Claims to Revenue and its Schedule. |
| Chapter-V    | Pay, Allowances and Pensions — General Rules, except Rules 5.4, 5.5 & 5.11.  |
| Chapter-VI   | Pay, Allowances etc. of gazetted Government servants, except Rule 6.3.   |
| Chapter-VII  | Pay, Allowances, etc. of Establishment, except for Section-II—Alteration of Establishment, Rules 7.5 to 7.10.  |
| Chapter-VIII | Contingencies except for Rules 8.20, 8.21 and 8.23.  |
| Chapter-IX   | Miscellaneous Charges, Section-I Refund, Rules 9.1 and 9.3 only.   |
| Chapter-X    | Loans and Advances— Section-III only.  |
| Chapter-XV   | Rules 15.1 and 15.2 only.  |
| Chapter-XVI  | Works, Section-III--- Public Buildings and Land, Rule 16.7   |
| Chapter-XVII | Budget   |
- E. Accounting Procedure Power Wing and Irrigation Wing.
- F. BBMB Purchase Procedure-2014
- G. Basic Principles of Management (Introductory)

**PAPER-II****(SERVICE RULES AND REGULATIONS)****Max Marks-100**

- Punjab Civil Services Rules Vol.I (Part I)  
Chapter-II (Definitions), Chapter –III (General Conditions of Service), Chapter-IV (Pay), Chapter-V (Additions to pay) Chapter-VII (Dismissal, Removal Suspension & Resignation), Chapter-VIII (Leave), Chapter-IX (Joining Time), Chapter-XII (Record of Service), Chapter-XV (Existing Authorities which exercises the Powers of a competent authority under the various Rules)
- Punjab Civil Services Rules .Vol.I (Part II)  
Appendix-7 (List of Government employees granted rent free accommodation)  
Appendix-11 (Leave Procedure), Appendix-17 (Rules of the grant of Casual and Quarantine leave).
- Punjab Civil Services Rules Vol.III (T.A. Regulations).
- Punjab C.S.R. Vol.II

Chapter-III (Service Qualifying for pension), Chapter-IV (Reckoning of Service for Pension), Chapter-V (Different Kinds of Pensions and conditions for their grant), Chapter-VI (Amount of Pension), Chapter-IX (Determination and Authorization of the amounts of Pensions and Gratuity), Chapter-X (Payment of Pensions). CH-XIV (GPF Rules)

5. Punjab Govt. Employees Conduct Rules-1971 & BBMB Rules 1974.
6. Punjab Civil Services (P&A) Rules-1970
7. PSEB Delegation of Powers as adopted by BBMB with Amendments from time to time.
8. English Drafting and Basic Computer Knowledge
9. Contributory Defined Pension Scheme (NPS)

**PAPER-III (REVENUE ACCOUNTS, ACTS AND LABOR LAWS) Max. Marks- 100**

**Part-A**

**Marks-40**

1. Electricity Supply Regulations & Rules/Regulations made under Electricity (Supply) Act, 2003.
2. Tariff and its Applications of the preceding year.
3. Power Regulation Instructions relating to energy bills, issued from time to time.

**Part-B**

**Marks-60**

1. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.
2. Workmen Compensation Act, 1923  
Chapter I & II (Up To Section IX Only)
3. Employee Provident Fund Act
4. Electricity Supply Act 2003,
5. Right To Information Act
6. Consumer Protection Act.
7. Micro Small Medium Enterprises Act.
8. The I.T. Act

Note:- The instruction/Amendments, relating to the above subject issued by different branches from time to time shall also be applicable. However no cognizance of any amendment issued within 6 months of the commencement of examination shall be taken.